

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, फास्ट ट्रेक मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री मोहनलाल

विपक्षी : राज्य

किस्म मुकदमा – 88 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 34/20

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सुनारु जारी की गई
	<p>दिनांक : 09.11.2021</p> <p>पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021 कैम्प जेवाणा में पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1, 2 की ओर से तहसीलदार मावली द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर वाद को स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्ष को सुना गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में वादी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में भेरा पिता हिरा बलाई दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी का वास्तविक नाम मोहनलाल पिता हीरालाल सालवी है जिसे संशोधित किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार मावली द्वारा जांच रिपोर्ट व जवाब पेश किया जिसमें भेरा व मोहनलाल को एक ही व्यक्ति होना बताया है। रिपोर्ट अनुसार वाद को स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की है। वादी द्वारा अपनी पहचान स्वरूप ग्राम पंचायत जेवाणा का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट की प्रति, पेन कार्ड की प्रति, राशन कार्ड आदि दस्तावेज पेश किये जिनमें सभी में वादी का नाम मोहनलाल पिता हीरालाल सालवी दर्ज है। राजस्व रेकार्ड में गलत नाम दर्ज होने से वादी को काफी कठिनाईयों को सामना करना पड रहा है। तहसीलदार मावली व ग्राम पंचायत के अनुसार भेरा व मोहनलाल एक ही व्यक्ति होना जाहिर आया है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">—: आदेश :-</p> <p>परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा की आराजी नम्बर 2161, 2164 कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 31 से 40 किता 10 रकबा 17 बीघा 2 बिस्वा, आराजी नम्बर 2145, 2731 किता 2 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 2142 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि में वादी का नाम हीरा पिता भेरा बलाई के बजाय भेरा उर्फ मोहनलाल पिता हीरालाल सालवी दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(मयंक मनीष I.A.S.) सहायक कलक्टर (FT) मावली</p>	



मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला—उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्री मोहनलाल पिता हिरालाल सालवी निवासी जेवाणा तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का जेवाणा तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम मुकदमा न0 : 34 / 20 (वाद) GCMS No. – 2020 / 00065

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा की आराजी नम्बर 2161, 2164 कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 31 से 40 किता 10 रकबा 17 बीघा 2 बिस्वा, आराजी नम्बर 2145, 2731 किता 2 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 2142 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि में वादी का नाम हीरा पिता भेरा बलाई के बजाय भेरा उर्फ मोहनलाल पिता हीरालाल सालवी दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 09.11.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली